अनूप चन्द्र पाण्डेय
अपर मुख्य सचिव,

अर्द्धशा0प0सं0–1833 /क0नि0–6–2017–20बी(24)/
संस्थागत वित्त कर एवं निबन्धन अनुभाग–6
लखनऊ:: दिनॉक:: 20 दिसम्बर, 2017

प्रिय महोदय,

अवगत कराना है कि लघु एवं सीमान्त किसानों के उन्नयन एवं सतत् विकास हेतु फसल ऋण मोचन योजना के शासनादेश सं0–540बी/क0नि0–6–2017–1(बी)/2017, दिनांक 24 जून, 2017 के द्वारा कृषि विभाग योजना के क्रियान्वयन हेतु नोडल विभाग नामित किया गया है और विधान सभा/विधान परिषद में मा0 जनप्रतिनिधियों द्वारा फसली ऋण मोचन योजना के संबंध में पूछे जाने वाले प्रश्नों/नियमों को कृषि विभाग द्वारा ही दिया जाना है लेकिन अभी भी विधान सभा/विधान परिषद प्रश्न अनुभाग द्वारा प्रश्नगत विषयक संस्थागत वित्त विभाग के नाम आवंटित किया जा रहा है। इस संबंध में शासनादेश सं0–1833बी/क0नि0–6– 2017–1(बी)/2017, दिनांक 06 दिसम्बर, 2017 (प्रति संलग्न) द्वारा भी विधान सभा/विधान परिषद मा0 जनप्रतिनिधियों द्वारा योजना से संबंधित पूछे जाने वाले प्रश्नों के उत्तर दिये जाने/प्रभावी अनुश्रवण किए जाने हेतु कृषि विभाग में उक्त योजना का कार्य देख रहे विशेष सचिव को उक्त कार्यों के सम्पादन हेतु पूर्णकालिक नोडल अधिकारी नामित किया गया है।

2. अतएव इस संबंध में मुझे आपसे यह कहने की अपेक्षा की गयी है कि कृपया उक्त के दृष्टिगत लघु एवं सीमान्त किसानों के उन्नयन एवं सतत् विकास हेतु फसल ऋण मोचन योजना से संबंधित मा0 जनप्रतिनिधियों द्वारा विधान सभा/विधान परिषद में पूछे जाने वाले प्रश्न/नियम को कृषि विभाग के नाम आवंटित करने का कष्ट करें।

संलग्नक–यथोक्त।

भवन्निष्ठ,

(अनूप चन्द्र पाण्डेय)

1. श्री प्रदीप दुबे,
   प्रमुख सचिव,
   विधान सभा,
   उ0प्र0 सचिवालय।
2. डा0 मोहन यादव,
   प्रमुख सचिव,
   विधान परिषद,
   उ0प्र0 सचिवालय।

संख्या– 1833 बी/क0नि0–6–2017–1(बी)/20

प्रेषक

राजेन्द्र सिंह मौर्य,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में

प्रमुख सचिव,
कृषि विभाग
उत्तर प्रदेश शासन।

जारी 06-12-17

संस्थागत वित्त कर एवं निबन्धन अनुभाग–6

लखनऊ : दिनांक 6 दिसम्बर, 20

विषय– फसल ऋण मोचन योजनान्तर्गत नोडल अधिकारी नामित करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

आप अवगत हैं कि लघु एवं सीमान्त किसानों के उन्नयन एवं सतत् विकास हेतु फसल ऋण मोचन योजना के शासनादेश संख्या– 540बी/क0नि0–6–2017–1(बी)/2017, दिनांक 24 जून, 2017 के अन्तर्गत कृषि विभाग योजना के कियान्वयन हेतु नोडल विभाग है। उक्त के आलोक में विधान मण्डल के आहूत होने वाले सत्र के दृष्टिगत विधानसभा/परिषद में मा0 जनप्रतिनिधियों द्वारा योजना से संबंधित पूछे जाने वाले प्रश्नों के उत्तर, जनसूचना अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत मांगी जाने वाली सूचनाएं, समस्त शिकायतों के निस्तारण के प्रभावी अनुश्रवण हेतु शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त कृषि विभाग में उक्त योजना का कार्य देख रहे विशेष सचिव को उक्त कार्यों के सम्पादन हेतु पूर्णकालिक नोडल अधिकारी नामित किये जाने का निर्णय लिया गया है।

2. उक्त के आलोक में अनुरोध है कृपया उपरोक्तानुसार योजना हेतु नोडल अधिकारी नामित करते हुये उनका नाम, पदनाम व दूरभाष संख्या से योजना के समस्त हितधारकों को अवगत कराने का कष्ट करें।

6/12/2017

भवदीय,

(राजेन्द्र सिंह मौर्य) 6/12
उप सचिव।

संख्या– 1833 (1) बी/क0नि0–6–2017, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2. कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
3. अपर मुख्य सचिव, संस्थागत वित्त/सहकारिता/आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स, उ0प्र0 शासन।
4. प्रमुख सचिव, वित्त/कृषि/राजस्व/सूचना, उत्तर प्रदेश शासन।
5. प्रमुख सचिव/सचिव, विधानसभा/परिषद, उत्तर प्रदेश।
6. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
7. विशेष सचिव, मा0 मुख्य मंत्री जी, उत्तर प्रदेश शासन।
8. महानिदेशक, संस्थागत वित्त महानिदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
9. निदेशक कृषि/कृषि सांख्यिकी एवं फसल बीमा, उत्तर प्रदेश।
10. संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
11. राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, एनआईसी, लखनऊ।

6/12/17

आज्ञा से,

(राजेन्द्र सिंह मौर्य)
उप सचिव।

6/12/17